राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–955/2025

प्रेम नारायण मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयुपर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 13.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 350 किमी. दूर स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को दूरस्थ स्थानांतरण से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी के आलोच्य स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। केवलमात्र इस

आधार पर कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को स्थानांतरित किया गया है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। साथ ही अपीलार्थी का स्थानांतरण इस आधार पर भी गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 350 किमी. दूर किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रसाशनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आदेश दुर्भावनापूर्ण पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)